राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल याचिका संख्या 18124/2022

प्रबंध समिति, शाह गोवर्धन लाल काबरा पब्लिक स्कूल, पावटा ए रोड, जोधपुर अपने सचिव देवयानी काबरा पुत्री श्री बसंत काबरा, उम्र लगभग 40 वर्ष, शाह गोवर्धन लाल काबरा पब्लिक स्कूल, पावटा ए रोड, जोधपुर के माध्यम से।

----अपीलार्थी

बनाम

1. निदेशक/आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. प्रेम सुख गौड़ (मृतक), कानूनी सलाहकारों के माध्यम से
3. श्रीमती पद्मा गौड़ पत्नी स्वर्गीय श्री प्रेमसुख गौड़, गऊघाट रोड, वाटर वर्क्स ऑफिस के सामने, फतेह सागर, जोधपुर।
4. श्रीमती कुंतल गौड़ पत्नी श्री प्रदीप गौड़, 318, ओमेक्स सिटी, अजमेर रोड, जयपुर।
5. रुचिरा गौड़ पुत्री स्वर्गीय प्रेमसुख गौड़, गऊघाट रोड, वाटर वर्क्स ऑफिस के सामने, फतेह सागर, जोधपुर।

----प्रतिवादीगण

के साथ

एस.बी. सिविल याचिका संख्या 16579/2022

1. प्रबंधन समिति गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, हिरण मगरी, सेक्टर 4, उदयपुर, राजस्थान अपने अध्यक्ष के माध्यम से।
2. सचिव, प्रबंधन समिति, गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, हिरण मगरी, सेक्टर 4, उदयपुर, राजस्थान।

----अपीलार्थी

बनाम

1. श्रीमती गोदावरी पुरोहित कानूनी सलाहकारों के माध्यम से।
2. श्री शरद चंद पुरोहित पुत्र स्वर्गीय श्री पी. एल. पुरोहित, निवासी 12, ब्लॉक 1, सेक्टर 14, हिरण मगरी, उदयपुर, राजस्थान।
3. श्री रितेश पुरोहित पुत्र श्री शरद चंद पुरोहित, निवासी 12, ब्लॉक 1, सेक्टर 14, हिरण मगरी, उदयपुर, राजस्थान।
4. श्रीमती श्वेता राजावत पत्नी श्री अरविंद राजावत, पुत्री श्री शरद चंद पुरोहित, निवासी

एम.एन.ई.टी. कैम्पस, भोपाल, मध्य प्रदेश।

5. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।

----प्रतिवादीगण

अपीलार्थी(गण) के लिए	:	श्री डी.डी. चितलांगी
		श्री सुइल पुरोहित
प्रतिवादी(गण) के लिए	:	श्री विनीत आर. दवे
		श्री सी.पी. त्रिवेदी

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

<u>निर्णय (मौखिक)</u>

<u>04/04/2024</u>

1. उपरोक्त दोनों दायर याचिकाओं में याचिकाकर्ता (पक्षों के ज्ञापन में नामित उनके संबंधित स्कूल की प्रबंध समितियां), क्रमशः दिनांक 04.08.2022 और 18.08.2022 के आदेशों से व्यथित हैं, जिसके अनुसार, विद्वान गैर-सरकारी शैक्षणिक संस्थान न्यायाधिकरण, जयपुर ('न्यायाधिकरण') ने निजी प्रतिवादियों द्वारा दायर संबंधित आवेदनों को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए याचिकाकर्ता-संस्थाओं को उनकी सेवानिवृत्ति की संबंधित तिथियों से वेतन निर्धारण करने के बाद ग्रेच्युटी का भुगतान करने का निर्देश दिया।

2. सी.डब्लू. संख्या 18124/2022 में मामले के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपने जीवनकाल में याचिकाकर्ता प्रेमसुख गौड़ (मृतक निजी प्रतिवादी) ने राजस्थान गैर-सरकारी शिक्षण संस्था अधिनियम, 1989 (जिसे आगे 1989 का अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 21 के तहत न्यायाधिकरण के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसमें कहा गया था कि उसे 12.07.1977 को उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद सहायक अध्यापक के पद पर चयनित/नियुक्त किया गया था। इसके बाद उसे सहायक प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति मिली और वह 31.08.2008 को सेवानिवृत्त हो गया। यह कहा गया कि याचिकाकर्ता संस्था राजस्थान सोसायटी अधिनियम के तहत पंजीकृत है और राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। आगे यह भी कहा गया कि वह अधिनियम 1989 की धारा 16 और ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 (जिसे आगे '1972 का अधिनियम' कहा जाएगा) के नियम 82 के तहत ग्रेच्युटी भुगतान का हकदार है। आवेदन में कहा

गया कि राज्य सरकार ने राजस्थान सिविल सेवा संशोधित वेतनमान नियम, 2008 (जिसे आगे '2008 के नियम' कहा जाएगा) के तहत छठे वेतन आयोग का लाभ दिया है। आवेदक एक मान्यता प्राप्त संस्थान का कर्मचारी होने के नाते 2008 के नियमों के अनुसार वेतन निर्धारण का हकदार है, लेकिन उसके स्कूल ने उसे उक्त लाभ नहीं दिया।

2.1 विद्वान न्यायाधिकरण ने दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात अपने दिनांक 04.08.2022 के आदेश द्वारा आवेदक द्वारा दायर आवेदन को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया तथा निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता प्रबंध समिति सेवानिवृत्ति की तिथि अर्थात 31.08.2008 को ग्रेच्युटी वेतन निर्धारण का भुगतान करे।

3. इसी प्रकार संबंधित सीडब्ल्यू संख्या 16579/2022 के सुसंगत तथ्य संक्षेप में यह हैं कि श्रीमती गोदावरी पुरोहित (अब दिवंगत) की प्रारंभिक नियुक्ति 28.11.1983 को हुई थी तथा 31.12.1991 को वरिष्ठ अध्यापिका के पद पर पदोन्नत हुई थी। 14.10.1994 को उन्हें उप प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नत किया गया तथा उसके पश्चात उन्हें दिनांक 27.08.1997 के आदेश द्वारा प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नत किया गया। वे 01.05.2008 को सेवानिवृत्त हुई। उन्होंने ट्रिब्यूनल के समक्ष एक आवेदन भी दायर किया जिसमें कहा गया कि वह ग्रेच्युटी के भुगतान की हकदार हैं। उन्होंने याचिकाकर्ता प्रबंध समिति को ग्रेच्युटी देने के लिए निर्देश देने की मांग की।

3.1 दिनांक 18.08.2022 के अपने आदेश के तहत न्यायाधिकरण ने आवेदक द्वारा दायर आवेदन को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया। इसने याचिकाकर्ता प्रबंध समिति को सेवानिवृत्ति की तिथि यानी 01.05.2008 के अनुसार ग्रेच्युटी वेतन निर्धारण का भुगतान करने का निर्देश दिया।

4. निजी प्रतिवादियों की ओर से बचाव में यह तर्क दिया गया है कि ग्रेच्युटी भुगतान (संशोधन) अधिनियम, 2009 को संसद द्वारा विशेष रूप से 03.04.1997 से धारा 2(ई) 'कर्मचारी' की परिभाषा में पूर्वव्यापी संशोधन करने के लिए अधिनियमित किया गया था। इसका उद्देश्य अहमदाबाद निजी प्राथमिक शिक्षक संघ के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए अपने निर्णय में पहचानी गई त्रुटि या कमी को सुधारना था, जिसका उद्देश्य निजी शिक्षा संस्थानों के शिक्षकों को ग्रेच्युटी का लाभ प्रदान करना था। इसके अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 29.08.2022 को इंडिपेंडेंट स्कूल्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (पंजीकृत) बनाम भारत संघ और अन्य में दिए गए अपने निर्णय में संशोधन अधिनियम की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा गया है।

5. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने विद्वान वकीलों की परस्पर विरोधी दलीलें सुनी हैं। अब मैं आदेश के अगले भाग में कारण दर्ज करके उस पर अपनी राय प्रस्तुत करूंगा।

6. सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, गुण-दोष के बावजूद, यह ध्यान देने योग्य है कि याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा तर्कों के दौरान प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई है कि विद्वान न्यायाधिकरण के पास प्रतिवादियों के दावे पर विचार करने का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि जिस संस्थान में उन्होंने काम किया था वह एक गैर-सहायता प्राप्त संस्थान है और इसलिए न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र के अधीन नहीं था। मैं उपरोक्त तर्क को स्वीकार करने के लिए खुद को राजी नहीं कर पा रहा हूँ। इसे केवल अस्वीकार करने के लिए ही नोट किया जा रहा है। कारण खोजने में कोई समस्या नहीं है। यह सामान्य कानून है कि अधिकार क्षेत्र पर आपत्ति ऐसी कार्यवाही को सुनने वाले न्यायालय के समक्ष कार्यवाही की शुरुआत में ही उठाई जानी चाहिए, न कि अधिकार क्षेत्र के आगे झुकने और गुण-दोष के आधार पर मुद्दे को संबोधित करने के बाद।

7. वर्तमान मामले में, अभिलेखों से यह सिद्ध होता है कि न्यायाधिकरण के समक्ष प्रारंभिक चरण में या यहां तक कि अंतिम तर्कों के चरण में भी कोई आपत्ति नहीं ली गई थी, इसलिए उसे प्रतिवादियों के दावे पर विचार करने का अधिकार नहीं है। न्यायाधिकरण द्वारा मामले की गहनता से जांच करने और गुण-दोष के आधार पर निष्कर्ष प्रस्तुत करने के बाद ही इस न्यायालय के समक्ष दायर तत्काल रिट याचिकाओं में पहली बार ऐसी आपत्ति ली गई है। केवल इसी आधार पर, उपरोक्त आपत्ति खारिज किए जाने योग्य है।

8. मैंने जो ऊपर देखा है, उसके अलावा, अन्यथा भी 1989 के नियमों के तहत किसी कर्मचारी के दावे पर विचार करने के लिए कोई निषेध या रोक नहीं है, जो किसी गैर-सहायता प्राप्त संस्थान में काम कर रहा है। इस संदर्भ में, धारा 2 में विशेष रूप से खंड (पी) और (क्यू) में दी गई परिभाषाएं प्रासंगिक हैं और उन्हें नीचे उद्धृत किया गया है: -

> "(पी) "गैर-सरकारी शैक्षणिक संस्थान" से तात्पर्य किसी भी कॉलेज, स्कूल, प्रशिक्षण संस्थान या किसी अन्य संस्थान से है, चाहे वह किसी भी नाम से नामित, स्थापित और संचालित हो जिसका उद्देश्य शिक्षा प्रदान करना या छात्रों को राज्य या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई प्रमाण पत्र, डिग्री, डिप्लोमा या कोई शैक्षणिक विशिष्टता प्राप्त करने के लिए तैयार करना या

प्रशिक्षण देना हो या जो राज्य में लोगों के शैक्षिक, सांस्कृतिक या शारीरिक विकास के लिए कार्य करता हो और जिसका स्वामित्व या प्रबंधन न तो राज्य या केंद्र सरकार के पास हो या न ही किसी विश्वविद्यालय या स्थानीय प्राधिकरण या राज्य या केंद्र सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले किसी अन्य प्राधिकरण के पास हो;

(क्यू) "मान्यता प्राप्त संस्था" से तात्पर्य किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध अथवा बोर्ड, शिक्षा निदेशक अथवा राज्य सरकार अथवा शिक्षा निदेशक द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किसी कार्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त गैर-सरकारी शैक्षणिक संस्था से है;"

9. उपर्युक्त प्रावधानों के अवलोकन से इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता कि न केवल गैर-सरकारी शैक्षणिक संस्थानों के साथ-साथ मान्यता प्राप्त संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों के दावों पर विचार करने के लिए न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र पर कोई प्रतिबंध नहीं है, बल्कि दूसरी ओर उन्हें पूर्वोक्त संबंधित परिभाषाओं के आधार पर न्यायाधिकरण की शक्तियों के अंतर्गत विशेष रूप से शामिल किया गया है।

10. इसके अलावा, न्यायाधिकरण को 1989 के अधिनियम की धारा 21 के तहत किसी मान्यता प्राप्त संस्थान (जैसे कि याचिकाकर्ता स्कूल) में काम करने वाले कर्मचारी द्वारा सेवा की शर्तों के संबंध में आवेदनों पर विचार करने का अधिकार दिया गया है। उक्त धारा प्रासंगिक होने के कारण नीचे भी पुन: प्रस्तुत की गई है:-

"21. न्यायाधिकरण को आवेदन - (1) जहां किसी मान्यता प्राप्त संस्था के प्रबंधन और उसके किसी कर्मचारी के बीच सेवा की शर्तों के संबंध में कोई विवाद है, वहां प्रबंधन या कर्मचारी न्यायाधिकरण को निर्धारित तरीके से आवेदन कर सकता है और उस पर न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम होगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रकृति का कोई विवाद और धारा 19 में निर्दिष्ट प्रकृति की कोई अपील, जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने से ठीक पहले राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी के समक्ष लंबित है, ऐसे प्रारंभ होने के बाद यथाशीघ्र न्यायाधिकरण को उसके निर्णय के लिए स्थानांतरित कर दी जाएगी।"

11. अब हम प्रतिवादियों के दावे के गुण-दोष पर विचार करते हैं। दिवंगत निजी प्रतिवादियों ने ग्रेच्युटी के भुगतान की मांग करते हुए अपने-अपने आवेदन दायर किए थे, जिसके बारे में मेरा मानना है कि याचिकाकर्ता स्कूल कानून के अनुसार भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे/हैं।

12. ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 एक लाभकारी कानून है, जिसके तहत ग्रेच्युटी के लिए दावा दायर करने के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। कानून की यह स्थापित स्थिति है कि ग्रेच्युटी का भुगतान नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को देय कोई इनाम नहीं है। वास्तव में, नियोक्ता का यह कर्तव्य है कि वह कर्मचारी की ओर से आवेदन किए जाने की प्रतीक्षा किए बिना ग्रेच्युटी की राशि का निर्धारण जल्द से जल्द करे और इसे देय तिथि से 30 दिनों के भीतर भुगतान करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

13. ग्रेच्युटी का भुगतान नियोक्ता का एक वैधानिक दायित्व बना दिया गया है, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों की सेवा अवधि के बाद उनकी वित्तीय स्थिति को सुरक्षित करना है। यह किसी संगठन के प्रति कर्मचारी के दीर्घकालिक समर्पण और सेवा के मूल्य की मान्यता को दर्शाता है। इस अधिनियम के तहत ग्रेच्युटी के लिए दावा दायर करने के लिए सीमा अवधि का अभाव कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें समय पर उनके उचित लाभ प्राप्त करने को सुनिश्चित करने के इसके इरादे को रेखांकित करता है। इस प्रकार इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ग्रेच्युटी को नियोक्ता द्वारा कर्मचारी पर दिया गया मात्र एक विवेकाधीन उपकार नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि यह कानून द्वारा सुरक्षित एक उचित अधिकार है। इसलिए, ग्रेच्युटी परोपकार का मामला नहीं है, बल्कि नियोक्ता की ओर से एक कानूनी दायित्व है, जो कर्मचारी द्वारा वर्षों से दी गई सेवाओं से उत्पन्न होता है। नियोक्ता पर ग्रेच्युटी राशि का तुरंत निर्धारण करने और देय होने के 30 दिनों के भीतर इसके भुगतान की व्यवस्था करने का दायित्व डाला गया है, जो नियोक्ताओं की अपने कर्मचारियों के प्रति अपने कानूनी दायित्वों का सम्मान करने में सक्रिय जिम्मेदारी को रेखांकित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि कर्मचारियों को अधिनियम के तहत निर्दिष्ट सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र या मृत्यु के बाद ग्रेच्युटी प्राप्त करने में अनावश्यक रूप से देरी या बोझ नहीं डाला जाता है। और फिर भी, विडंबना यह है कि यहां दोनों कर्मचारी (निजी प्रतिवादी) अपने जीवनकाल में अपना बकाया पाने की उम्मीद में अपनी सेवानिवृत्ति के बाद मर गए।

14. अंत में मैं यह जोड़ना चाहूंगा कि याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान रेखा दीवानी एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में

26.05.2015 को (जयपुर पीठ में) निर्णीत खंडपीठ के निर्णय पर भरोसा किया है। यह स्पष्ट रूप से वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है। वर्तमान मामला ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के तहत ग्रेच्युटी भुगतान से संबंधित है, जबकि खंडपीठ के समक्ष प्रस्तुत प्रश्न 1989 के अधिनियम की धारा 16 और 29 के अधीन था, जहां तक सहायता प्राप्त शब्द गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों के कर्मचारियों को सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत समकक्षों के साथ वेतन समानता प्राप्त करने से रोकता है। खंडपीठ ने माना कि वे वेतन समानता की ऐसी किसी समानता का दावा नहीं कर सकते। मेरी राय में, उक्त निर्णय यहां लागू नहीं होता है।

15. प्रतिवादी के विद्वान वकील ने हल्के ढंग से यह तर्क दिया है कि ग्रेच्युटी जैसे सेवा लाभ प्रदान करने वाले लाभकारी कानून की प्रयोज्यता जिसकी स्वीकार्यता और गणना 1972 के अधिनियम के तहत की जानी है। पीओजी (संशोधन) अधिनियम, 2009 के अधिनियमन के बाद एक निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूल में एक शिक्षक को ग्रेच्युटी की प्रयोज्यता और पात्रता के बारे में सवाल बीआईटी बनाम झारखंड राज्य और अन्य और स्वतंत्र स्कूल फेडरेशन ऑफ इंडिया बनाम यूओआई और अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के प्रकाश में अब प्रासंगिक नहीं है।

16. इस प्रकार दोनों रिट याचिकाएँ खारिज की जाती हैं। याचिकाकर्ताओं (प्रबंधन समितियों) को निर्देश दिया जाता है कि वे निजी प्रतिवादियों को देय ग्रेच्युटी के बारे में आवश्यक गणनाएँ तत्काल आदेश के वेब प्रिंट के साथ निजी प्रतिवादियों द्वारा संपर्क करने के दो महीने की अवधि के भीतर करें। ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अनुसार स्वीकार्य ब्याज भी गणना के अनुसार निजी प्रतिवादियों को देना होगा।

(अरुण मोंगा),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।
अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।